तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 49/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
24–6–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री हुनर सिंह देवड़ा उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 01–11–2023 को मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2235 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2957/Act/2023/3000 दिनांक 16–11–2023 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री हुनर सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 20–6–2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के वकील की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी मुकेश कुमार ने न तो कोई 3 किलो पनीर रखा था और न ही कोई कारोबार करता है व न ही दुकान चलाता है, बल्कि मुकेश कुमार का भाई जरुर दुकान चलाता है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा दिनांक 01–11–2023 को प्रतिवादी मुकेश कुमार कलदरी में उपस्थित न होकर अपने बहन के घर कोटडा, उदयपुर में था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने की कार्यवाही प्रतिवादी की उपस्थिति में नही की है व न ही विधि अनुसार सम्पादित नही की है एवं न ही मौके पर कोई कार्यवाही सम्पादित की गई है। उक्त समस्त कार्यवाही प्रतिवादी को जानकारी नही है। नमूना लेने की कार्यवाही में प्रतिवादी के मौके पर हस्ताक्षर नही करवाये है तथा न ही स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर कराये है तथा न ही प्रतिवादी ने रेफरल लेब से जांच कराने हेतु मना किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में बैठकर सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की है। प्रतिवादी आदिवासी जाति का व्यक्ति है जो मजदूरी करके जीवन यापन करता है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 01–11–2023 को 11–00 ए.एम. पर खाद्य ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)
प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 49/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्ट, कलदरी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी मुकेश पुत्र सवाराम जी, जाति– गरासिया, निवासी– कलदरी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी के निरीक्षण के दौरान मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी की दुकान में आमजन के विक्रय हेतु 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी की दुकान में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर में से एक किलोग्राम पनीर को एक साफ, खाली, सूखे भिगोनें में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 350/– (अक्षरे रुपये तीन सौ पचास मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2235, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने प्रतिवादी विक्रेता मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया एवं गवाह को चार साफ, खाली, सूखी शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा पनीर को हिलामिलाकर एकरुप करके चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों में फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद करके प्रत्येक शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2235 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया, उक्त गवाह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। ......लगातार	

विशि. न्याया. जिला सिरोही (राज.)

विशि. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 49/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 06–11–2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 02–11–2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2235 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2957/Act/2023/3000 दिनांक 16–11–2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2235 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी मुकेश पुत्र सवाराम जी गरासिया, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स आदिवासी पनीर सेन्टर, कलदरी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 30–7–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही